रजिस्ट्री सं० डी० (डी०)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

सत्यमेव जयते

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उपखण्ड (ii)
PART II—section 3—Sub-Section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 101] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, फरवरी 23, 1978/फाल्गुन 4, 1899
No. 101] NEW DELHI, THURSDAY, FEBRUARY 23, 1978/PHALGUNA 4, 1899

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 फरवरी, 1978

का० आ० 125 (अ).—पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उक्त उपधारा के खंण्ड (1) से (7) तक में निर्दिष्ट कम्पनियां, 1 नवम्बर, 1966 को और ऐसे क्षेत्रों में, जिनमें उक्त कम्पनियां उस दिन से ठीक पूर्व कार्य कर रही थीं, ऐसे निर्देशों के अधीन रहते हुए, जो केन्द्रीय सरकार ऐसे कार्य करने के संबंध में समय-समय पर जारी करे, तब तक कार्य करती रहेंगी जब तक किसी विधि में या पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा चण्डीगढ़ संघ राज्य क्षेत्र के संबंध में संघ (जिन्हें इसमें इसके पश्चात् "उत्तरवर्ती राज्य" कहा गया है) के बीच किसी करार में अन्यथा उपबंधित न किया जाए ;

और उत्तरवर्ती राज्यों ने परस्पर यह करार कर लिया है कि:—

(1) पंजाब राज्य द्वारा, जैसा कि वह 1 नवम्बर, 1966 के ठीक पूर्व विद्यमान था, ऊपर निर्दिष्ट कम्पनियों में धारित शेयर पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्यों तथा चण्डीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र के संबंध में संघ को क्रमशः 45.84 : 37.38 : 7.19 : 0.59 के अनुपात में आवंटित किए जाएंगे;

(2) हरियाणा और हिमाचल प्रदेश राज्य तथा संघ क्रमशः उन्हें आवंटित शेयर पंजाब राज्य को अन्तरित करेंगे ;

(3) पूर्वोक्त प्रत्येक कम्पनी के शेयरों का मूल्य उन कम्पनियों के लेखापरीक्षित, तुलनपत्रों के आधार पर, जैसे कि वे किसी ऐसी तारीख को थे जिसपर सहमति हुई थी, अवधारित किया जाएगा; और

(4) पंजाब राज्य सरकार उस राज्य को अन्तरित शेयरों के बदले इस प्रकार अवधारित मूल्य के अनुसार अन्य उत्तरवर्ती राज्यों को नकद संदाय करेगी ;

और प्रत्येक कम्पनी के सामने लिखित रकम पर, कम्पनियों के प्रत्येक शेयर के मूल्य के संबंध में, जो नीचे विनिर्दिष्ट हैं भारत सरकार का अनुमोदन प्रत्येक उत्तरवर्ती राज्य को संसूचित कर दिया है:

कम्पनी का नाम	निम्नलिखित तारीख को समाप्त होने वाली अवधि के लिए तुलन-पत्र	प्रत्येक शेयर का मूल्य	मूल्यांकन का अनुमोदन करने वाले भारत सरकार के पत्र की विशिष्टियां
		रु०	
1. औद्योगिक विकास निगम	31-10-66	983 48	गृह मंत्रालय का पत्र सं० 17/16/67 एस० आर० तारीख 24 दिसम्बर, 1970
2. पंजाब राज्य लघु उद्योग निगम	31-10-66	128.75	गृह मंत्रालय का पत्र सं० 17/16/67-एस० आर० तारीख 24 दिसम्बर 1970
3. भूमि विकास और बीज निगम	31-5-1967	92.832	गृह मंत्रालय का पत्र सं० 17/71/67-एस० आर० तारीख 25 मई, 1972

और पंजाब सरकार ने यह रिपोर्ट की है कि अन्य उत्तरवर्ती राज्यो को संदाय कर दिया गया है और गृह मंत्रालय के पूर्वोक्त पत्रो के अनुसार वित्तीय समायोजन पूरा कर लिया गया है ।

और रकम की प्राप्ति तथा वित्तीय समायोजन की अन्य उत्तरवर्ती राज्यों द्वारा पुष्टि हो गई है ।

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम, 1970 (1970 का 53) की धारा 38 की उपधारा (2) के साथ पठित पंजाब पुनर्गठन अधिनियम, 1966 (1966 का 31) की धारा 73 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए—

(क) उत्तरवर्ती राज्यो के बीच ऊपर निर्विष्ट करार और वित्तीय समायोजनों की पुष्टि करती है :

(ख) निदेश देती है कि—

(1) पंजाब सरकार इस अधिसूचना के जारी होने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र, पूर्वोक्त कम्पनियों के संगम ज्ञापनों और संगम अनुच्छेदो मे, जहा आवश्यक हो, संशोधन करवाएगी ताकि उनके कार्य पंजाब राज्य में सीमित रहे :

(2) सम्बद्ध कम्पनी के संगम ज्ञापनो और संगम-अनुच्छेदों मे अपेक्षित संशोधनो से कम्पनी अन्तर्राज्यीय निगमित निकाय नही रहेगी और उसके कार्य उस तारीख से, जिसको ऐसे संशोधन प्रभावी होते हैं, पंजाब राज्य मे सीमित रहे .

(3) उपखण्ड 2 के उपबन्धो के होते हुए भी जब तक संशोधित संगम-अनुच्छेदों के अनुसार नया निदेश-बोर्ड गठित नही किया जाता, पूर्वोक्त कम्पनियों के निदेश-बोर्ड में हरियाणा सरकार, हिमाचल प्रदेश सरकार और चण्डीगढ़ प्रशासक द्वारा नियुक्त व्यक्ति निदेशको के पद धारण किए रहेंगे : और

(4) कम्पनी के संशोधित संगम-अनुच्छेदो के अनुसार निदेशक-बोर्ड के पुनर्गठन की तारीख से भारत सरकार के गृह मंत्रालय की अधिसूचना सं० 17/82-66-एस०-आर०, तारीख 15 फरवरी, 1967 (का० आ० 596, तारीख 15 फरवरी, 1967) उस कम्पनी के संबध मे प्रभावी नही रहेगी ।

[सं० 17/34/72-एस० आर०]

प्रमोद प्रकाश श्रीवास्तव, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd February, 1978

S. O. 125(E).—Whereas under sub-section (1) of section 73 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), the companies referred to in clauses (i) to (vii) of the said sub-section shall, on and from the 1st day of November, 1966, continue to function in the areas in which the said companies were functioning immediately before that day, subject to such directions as the Central Government may from time to time issue in relation to such functioning, until otherwise provided for in any law or in any agreement among the States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and the Union in relation to the Union Territory of Chandigarh hereinafter referred to as "successor States") ;

And whereas the successor States have mutually agreed—

(i) that the shares held by the State of Punjab, as it existed immediately before the 1st day of November, 1966, in the companies referred to above shall be allocated to the States of Punjab, Haryana and Himachal Pradesh and the Union in relation to the Union Territory of Chandigarh in the ratio of 54.84 : 37.38 : 7.19 : 0.59 respectively ;

(ii) that the States of Haryana and Himachal Pradesh and the Union shall transfer to the State of Punjab the shares allotted to them respectively ;

(iii) that the value of the shares of each of the companies aforesaid shall be determined on the basis of audited balance sheets of respective companies as on a date mutually agreed upon ; and

(iv) that the Government of the State of Punjab shall make cash payment to the other successor States according to the value so determined in lieu of the shares transferred to that State ;

And whereas approval of the Government of India to the value of each share of the companies specified hereunder being taken at the amount noted against each has been communicated to each successor States :

Name of the Company	Balance sheet for the period ending	Value of each share	Particulars of the letter from the Government of India approving valuation
		Rs.	
(i) the Industrial Development Corporation	31-10-1966	983.48	M.H.A. Letter No. 17/16/67-SR, dated the 24th December, 1970
(ii) the Punjab State Small Industries Corporation	31-10-1966	128.75	M.H.A. Letter No. 17/16/67-SR, dated the 24th December, 1970
(iii) the Land Development and Seed Corporation	31-5-1967	92.832	M.H.A letter No. 17/71/67-SR, dated the 25th May, 1972.

And whereas the Government of Punjab has reported that payment to the other successor States has been made and financial adjustments in accordance with the Ministry of Home Affairs letters aforesaid has been completed ;

And whereas the receipt of the amounts and financial adjustments has been confirmed by the other successor States ;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 73 of the Punjab Reorganisation Act, 1966 (31 of 1966), read with sub-section (2) of section 38 of the State of Himachal Pradesh Act, 1970 (53 of 1970), the Central Government hereby—

a) confirms the agreement and the financial adjustments referred to above among the successor States ;

(b) directs that—

(i) the Government of Punjab shall, as soon as may be after the issue of this notification, cause the memoranda and articles of association of the companies aforesaid, amended, where necessary, so as to confine their operations to the State of Punjab ;

(ii) with the requisite amendments in the memorandum and articles of association of the company concerned, the company shall cease to be an inter-State body corporate and its operations shall, as from the date on which such amendments take effect, be confined to the State of Punjab ;

(iii) notwithstanding the provisions of sub-clause (ii), until a new Board of Directors is constituted in terms of the amended articles of association, the persons appointed by the Government of Haryana, the Government of Himachal Pradesh and the Administrator of Chandigarh, on the Board of Directors of the companies aforesaid, shall continue to hold the office of directors ; and

(iv) as from the date of the reconstitution of the Board of Directors in terms of the amended articles of association of a company, the notification of the Government of India in the Ministry of Home Affairs No. 17/82-66-SR, dated the 15th February, 1967 (S. O. 596, dated the 15th February, 1967) shall cease to have effect in relation to that company.

[No. 17/34/72-SR]

P. P. SHRIVASTAV, Jt. Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD, NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1978